भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1882

उत्तर देने की तारीख : 30.07.2026

तमिलनाडु में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का विकास

1882. श्री बी. मणिक्कम टैगोरः
श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंतः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु के विरुधुनगर, कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली और तेनकासी जिलों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को दिए जाने वाले संपार्श्विक मुक्त ऋणों की पर्याप्तता का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऋण सुलभता में सुधार करने और ब्याज के बोझ को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या अवसंरचना, संभार तंत्र और ऋण संबंधी चुनौतियां तमिलनाडु के इन जिलों में एमएसएमई के विकास को सीमित कर रही हैं और यदि हां, तो छोटे उद्यमियों के लिए परिचालन लागत को कम करने, अवसंरचना, परिवहन, भंडारण सुविधाओं और संस्थागत ऋण तक पहुंच में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार तमिलनाडु के इन जिलों में एमएसएमई संकुलों, पारंपरिक उद्योगों, मत्स्यपालन एवं कृषि-आधारित इकाइयों को पर्याप्त वित्तीय और प्रौद्योगिकीय सहायता प्रदान कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन क्षेत्रों के आधुनिकीकरण और उनका सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या इन जिलों में ग्रामीण उद्यमियों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) और सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) योजनाओं का लाभ प्रभावी ढंग से प्राप्त हो रहा है और यदि हां, तो विगत तीन वर्षों का जिला-वार लाभार्थी डेटा क्या है तथा जागरूकता और पहुंच की कमी को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इन जिलों में एमएसएमई की लाभप्रदता को प्रभावित करने वाले मांग-आपूर्ति के असंतुलन की पहचान की है और यदि हां, तो बाजार संपर्कों, उत्पादन दक्षता और उद्यमशीलता प्रशिक्षण में सुधार के लिए जिला-वार कौन सी सुधारात्मक रणनीतियां अपनाई गई हैं; और

(च) क्या सरकार ने इन जिलों में पटाखों, समुद्री उत्पादों, हथकरघा और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की निर्यात क्षमता का मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो इस संबंध में निर्यात और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (ङ) : सरकार ने, अन्य के साथ-साथ, तमिलनाडु के विरुधुनगर, कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली और तेनकासी जिलों में स्थित उद्यमों सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए वहनीय और कोलेटरल मुक्त संस्थागत ऋण तक पहुंच में सुधार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

i. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएस) का कार्यान्वयन करता है ताकि बिना कोलेटरल या तृतीय पक्षकार गारंटी के एमएसई को दी जाने वाली ऋण सुविधाओं के लिए गारंटी प्रदान की जा सके। एमएसई के वित्तीय बोझ को कम करने के लिए गारंटी शुल्क संरचना को मानक दर में 50 प्रतिशत की कमी के साथ संशोधित करते हुए उसे 0.37 प्रतिशत वार्षिक के न्यूनतम स्तर पर रखा गया है। सीजीएस के लिए दी गई गारंटियों का जिलेवार विवरण इस प्रकार है:

सीजीएस – अनुमोदित गारंटी - तमिलनाडु- वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26							
विरुधुनगर		कन्याकुमारी		तिरुनेलवेली		तेनकासी	
अनुमोदित गारंटियों की संख्या	अनुमोदित राशि (₹ करोड़ में)	अनुमोदित गारंटियों की संख्या	अनुमोदित राशि (₹ करोड़ में)	अनुमोदित गारंटियों की संख्या	अनुमोदित राशि (₹ करोड़ में)	अनुमोदित गारंटियों की संख्या	अनुमोदित राशि (₹ करोड़ में)
9,582	1,112	10,697	747	16,038	1,326	351	30

महिलाओं, ट्रांसजेंडरों, अग्निवीरों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगों जैसी विशेष श्रेणियों के स्वामित्व वाले एमएसई, पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित एमएसई, आकांक्षी जिलों, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख संघ-राज्य क्षेत्र, जैड प्रमाणित इकाइयों और सूक्ष्म उद्यमों के लिए गारंटी शुल्क में 10 प्रतिशत की छूट और 90 प्रतिशत तक बढ़ी हुई गारंटी कवरेज का प्रावधान है।

ii. भारतीय रिजर्व बैंक के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को ऋण प्रदान करने संबंधी दिनांक 09.02.2026 के मास्टर निदेश के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा एमएसई इकाइयों को दी जाने वाली कोलेटरल मुक्त ऋण की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है।

iii. वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) में सदस्य ऋणदाता संस्थानों के माध्यम से 20 लाख रुपए तक का कोलेटरल मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। एक पात्र व्यक्ति कृषि से संबद्ध कार्यकलापों सहित विनिर्माण, व्यापार, सेवा क्षेत्रों में आय सृजन संबंधी कार्यकलापों के लिए इस स्कीम के तहत ऋण प्राप्त कर सकता है। पीएमएमवाई के तहत ऋण का जिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है:

पीएमएमवाई- तमिलनाडु- वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26							
विरुधुनगर		कन्याकुमारी		तिरुनेलवेली		तेनकासी	
ऋण खातों की संख्या	वितरित राशि (₹ करोड़ में)	ऋण खातों की संख्या	वितरित राशि (₹ करोड़ में)	ऋण खातों की संख्या	वितरित राशि (₹ करोड़ में)	ऋण खातों की संख्या	वितरित राशि (₹ करोड़ में)
3,52,241	3,083.31	3,15,809	3,639.08	4,36,634	3,875.08	1,29,405	1,123.44

iv. एमएसएमई मंत्रालय, अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से, अपनी स्कीमों के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए नियमित रूप से संबंधित राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों के एमएसएमई/उद्योग विभागों और अन्य हितधारकों जैसे सीजीटीएमएसई, सिडबी, बैंकों, एमएसएमई संघों आदि के साथ समन्वय स्थापित करके आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन करता है।

v. एमएसएमई मंत्रालय वित्तीय, तकनीकी, विपणन सहायता, उत्पादकता, प्रौद्योगिकी अपनाने और कौशल विकास के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित स्कीमों का कार्यान्वयन करता है:

(क) सामान्य सुविधा केन्द्रों (सीएफसी) की स्थापना और औद्योगिक संपदाओं के सृजन एवं उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) तैयार किया गया है। इस स्कीम के तहत फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स की स्थापना में भी सहायता प्रदान की गई है।

(ख) खरीद और विपणन सहायता (पीएमएस) स्कीम व्यापार मेलों, विक्रेता विकास कार्यक्रमों, पैकेजिंग, बारकोडिंग, ई-कॉमर्स और खुदरा दुकानों के माध्यम से बाजार तक पहुंच और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने में एमएसई को सहायता प्रदान करती है। यह प्रदर्शनियों में भाग लेने, आधुनिक विपणन पद्धतियों को अपनाने और खुदरा बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

(ग) एमएसएमई कॉम्पिटिटिव (लीन) स्कीम उत्पादकता बढ़ाने, प्रौद्योगिकी के उन्नयन और विनिर्माण प्रक्रियाओं में ऊर्जा संरक्षण के साथ-साथ भारतीय एमएसएमई उत्पादों की घरेलू और वैश्विक बाजार हिस्सेदारी का विस्तार करने के उद्देश्य से तैयार की गई है।

(घ) एमएसएमई क्षेत्र में कार्यबल को कौशल प्रदान करने में सहायता और उस कौशल को और बेहतर बनाने के लिए एमएसएमई मंत्रालय अपनी स्कीमों और कार्यक्रमों नामतः उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) स्कीम, कौशल उन्नयन और महिला कॅयर योजना, राष्ट्रीय अ.जा./अ.ज.जा. हब, प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता (एटीआई) स्कीम और प्रौद्योगिकी केंद्रों के जरिए प्रशिक्षण के माध्यम से देशभर में कौशल प्रदान करने और कौशल उन्नयन संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन करता है।

(च) : सरकार अन्य के साथ-साथ, निम्नलिखित पहलों के माध्यम से एमएसएमई से निर्यात को बढ़ावा देती है -

i. एमएसएमई मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्कीम का कार्यान्वयन करता है, जिसका उद्देश्य विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/मेलों/सम्मेलनों/सेमिनार/क्रेता-विक्रेता बैठकों में एमएसएमई की भागीदारी को सुविधाजनक बनाकर उनके क्षमता निर्माण के साथ-साथ उत्पादों के निर्यात के लिए एमएसई द्वारा प्राप्त परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन के लिए भुगतान किए गए शुल्क की प्रतिपूर्ति सहित विभिन्न लागतों की प्रतिपूर्ति करना है।

ii. इसके अतिरिक्त, एमएसएमई मंत्रालय ने एमएसएमई को अपने उत्पादों और सेवाओं के निर्यात में अपेक्षित सलाह और हैंडहोल्डिंग सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से देश भर में 65 निर्यात सुविधा केंद्र (ईएफसी) स्थापित किए हैं। निर्यात सुविधा केंद्र (ईएफसी) निर्यात से संबंधित स्कीमों और लाभों के बारे में सूचना के प्रसार, निर्यात अनुपालन पर प्रशिक्षण और कार्यशालाओं, निर्यात प्रलेखन और प्रक्रियाओं में हैंडहोल्डिंग, एमएसएमई को सुविधा प्रदान करने के लिए उद्योग संघों, राज्य सरकारों और डीजीएफटी के साथ संलग्नता के माध्यम से व्यापक सहायता प्रदान करके एमएसएमई निर्यातकों का समर्थन करते हैं।

iii. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 12 नवंबर 2025 को निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) को अनुमोदन प्रदान किया है, जिसका उद्देश्य भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करना और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) पर विशेष ध्यान देने के साथ-साथ वैश्विक बाजारों में निर्यातकों को लक्षित सहायता प्रदान करना है। मिशन दो एकीकृत उप-स्कीमों अर्थात निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा के माध्यम से कार्य करता है।
